

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/118
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00109
CICOM/R/2018/00349

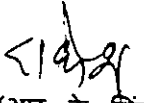
दिनांक: 09.05.2018

अपीलकर्ता : श्री अभिषेक कुमार,
बुनियाद नगर, मनपुरी पोस्ट - बिरगांव,
जिला - रायपुर, छत्तीसगढ़ - 493221.

निर्णय की तारीख : 09.05.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	20.03.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	23.04.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. तलपात्रा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	01.05.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	185/04.05.2018 (127977/03.05.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 20.03.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से द्वितीय अपील सं. CIC/VS/A/2015/001913-AB से संबंधित दस बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है। अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि उन्हें गलत एवं भ्रामक जानकारी दी गई है।
2. संबंधित संचिका एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता का दिनांक 20.03.2018 का आर.टी.आई. आवेदन जो कि दिनांक 02.04.2018 को केन्द्रीय सूचना आयोग में डायराइज हुआ तथा निर्धारित समयावधि के अंदर ही दिनांक 23.04.2018 को श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-ए.बी. कार्यालय द्वारा अपीलकर्ता को सूचना प्रदान कर दी गई है। श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 23.04.2018 को पत्र सं. CICOM/R/2018/00349/230 के माध्यम से प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसृत है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।
3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।


(आर. के. सिंह)

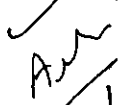
अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।


10/05/18

10 MAY 2018

